Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Service Appeal No.- 34/2022

Murlidhar Boshak ..... Appellant.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Respondent.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	22.06.2023	**आदेश** प्रस्तुत सेवा अपील वाद समाहर्त्ता, कटिहार के आदेश ज्ञापांक–286 दिनांक–02.04.22 के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु एक पृथक आवेदन दाखिल है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। इनका कथन है कि अपीलार्थी कटिहार जिला अंतर्गत अंचल कार्यालय, प्राणपुर में राजस्व कर्मचारी के पद पर पदस्थापित थे। जो सम्प्रति सेवानिवृत्त हैं। अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप है कि अंचल कार्यालय, प्राणपुर में राजस्व कर्मचारी के रूप में नामांतरण वाद सं0–212/2018–19 में आवेदक ब्रह्मदेव ऋषि के पक्ष में तथ्यों को छिपाते हुए यथा स्वत्व वाद सं0–19/1977 में पारित आदेश प्रश्नगत भूमि के विवादित होने का द्योतक है एवं पूर्व में उक्त भूमि का नामांतरण दो बार खारिज होने की तथ्य को छिपाते हुए आवेदक के पक्ष में नामांतरण हेतु अनुशंसा किये जाने का आरोप है। उक्त आरोप के आलोक में अपीलार्थी के विरूद्ध विधिवत् विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के समक्ष अपीलार्थी द्वारा समर्पित कारण पृच्छा में उल्लेख किया गया है कि विवादित भूमि की जमाबंदी सं0–479 उज्जवल कुमार सिन्हा एवं तालिका सिन्हा के नाम दर्ज है। नामांतरण हेतु आवेदक द्वारा पूर्व में समर्पित वर्ष 2014 और 2015 में तात्कालीन अंचल अधिकारी द्वारा नामांतरण खारिज कर दिया गया था। पुनः इनके पदस्थापन काल में दिनांक–14.05.2018 को उक्त भूमि के नामांतरण हेतु समर्पित किया गया जिसके आलोक में नामांतरण वाद सं0–212/2018–19 प्रारंभ की गई। उक्त वाद में प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा दबाव देकर अपने समक्ष तात्कालीन अंचलाधिकारी के कहने पर तत्संबंधी प्रतिवेदन लिखवाया गया है। जिसमें अपीलार्थी पूर्णतः निर्दोष है। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित करते हुए जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में द्वितीय कारण–पृच्छा की माँग की गई। अपीलार्थी द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए स्पष्ट किया गया कि उक्त नामांतरण वाद में अंचलाधिकारी द्वारा भी उभय पक्षों को सूचना देकर सुनवाई नहीं की गई जिससे क्रमशः	

WebCopy. Not Official.

	लगातार 22.06.2023	सही तथ्य उजागर हो पाता। यद्यपि अंचलाधिकारी, प्राणपुर द्वारा स्वयं भी दिनांक–04.07.18 को स्थल निरीक्षण किया गया था जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा किये गये जाँच की पुष्टि होती है। अंचलाधिकारी द्वारा दुराग्रह से ग्रसित होकर सारी जवाबदेही अपीलार्थी पर थोप दी गई है। समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है जो न्यायोचित नहीं है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा इनके स्पष्टीकरण को नजरअंदाज करते हुए अगले (05) पाँच वर्षों तक के लिए 10% मनमाने ढ़ंग से पेंशन की राशि की कटौती का दंड अधिरोपित कर दिया गया है। अंचलाधिकारी का यह दायित्व था उक्त नामांतरण वाद में सही तरीके से अभिलेखों का अवलोकन कर पक्षकारों को सूचना निर्गत कर सुनवाई करने का दायित्व अंचलाधिकारी पर था जो नहीं किया गया है। यद्यपि अंचलाधिकारी द्वारा प्रश्नगत भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया था। अपीलार्थी निर्दोष है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत कने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ इस कार्यालय के पत्रांक 708 दिनांक–20.02.23 द्वारा जिला पदाधिकारी, कटिहार से समर्पित अपील वाद के आलोक में बिंदुवार मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था किन्तु उनके कार्यालय पत्रांक 245 दिनांक–25.02.2023 द्वारा सिर्फ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख समर्पित किया गया किन्तु बिंदुवार मंतव्य अप्राप्त है। पक्षकारों को सुनने तथा निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अंचलाधिकारी, प्राणपुर के समक्ष नामांतरण वाद सं0–212/2018–19 में तथ्यों को छुपाते हुए प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जिसे वे प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा दबाव में दिये जाने की बात करते हैं किन्तु इसका कोई साक्ष्य अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। उल्लेखनीय है कि तात्कालीन अंचल अधिकारी द्वारा उक्त नामांतरण वर्ष 2014 एवं 2015 में दो बार खारिज किये जाने एवं स्वत्व वाद सं0–19/1977 में पारित आदेशानुसार प्रश्नगत भूमि के विवादित होने का तथ्य अपीलार्थी द्वारा उजागर नहीं करना इनके गलत मंशा का द्योतक है। अपीलार्थी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित पाये जाने के आधार पर समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली में निहित प्रावधानों के अंतर्गत अधिरोपित दंड़ न्यायोचित एवं विधिसम्मत् है। अतः उपरोक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हुए प्रस्तुत अपील वाद को अस्वीकृत किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय अभिलेख समाहर्त्ता, कटिहार को वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ	

Web Copy. Not Official.